

18/5/22

पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित
विवक्षी अनुपस्थित प्रकरण में मूल वाद प्रकरण

संख्या 95/2020 वाद स्वीकार होने से अब इस
प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।

अतः प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाएगा।
निर्णय अवेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फ़ैल
शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(सलोनी खेमका)
DAS

उपखण्ड अधिकारी
निर्वा, जयपुर (राज.)